"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 137] रायपुर, बुधवार, दिनांक 3 अप्रैल 2013—चैत्र 13, शक 1935

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2013

आदेश

क्रमांक 887/21-ब/छ.ग./2013.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं.

No. 887/21-B/C.G./2013.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987), the Governor of Chhattisgarh, in consultation with Hon'ble Chief Justice of Chhattisgarh High Court, is pleased to nominate Hon'ble Shri Justice Sunil Kumar Sinha, Judge of Chhattisgarh High Court, Bilaspur as the Executive Chairman of the Chhattisgarh State Legal Services Authority.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.